



नरिवाचन आयोग को सशक्त बनाना

यह एडिटोरियल 20/03/2024 को 'द हट्टी' में प्रकाशित "Selection and election: On the appointment of Election Commissioners" लेख पर आधारित है। इसमें भारत नरिवाचन आयोग (ECI) के लिये कार्यकारी पूर्वाग्रह से रहित एक नरिवाचन चयन पैनल की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

भारतीय नरिवाचन आयोग (EC), लोकसभा, राज्यसभा, राज्य अधिनसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CEC और अन्य ECs (नयुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023।

मेन्स के लिये:

भारतीय नरिवाचन आयोग की उपलब्धियों, भारत के चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे, भारतीय नरिवाचन आयोग को मज़बूत करने हेतु उठाए गए कदम।

हाल में दो सेवानवृत्त नौकरशाहों **जज्ञानेश कुमार और सुखबीर सहि संधू** को त्वरित रूप से नरिवाचन आयुक्त के रूप में नयुक्त किया गया। ये नयुक्तियाँ वर्ष 2024 में आयोजित आम चुनाव की नरिधारित तिथियों की घोषणा के ठीक दो दिन पूर्व की गईं। वे अब **भारतीय नरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** के तीन सदस्यीय पैनल में मुख्य नरिवाचन आयुक्त राजीव कुमार को सहयोग प्रदान करेंगे।

भारत नरिवाचन आयोग के सदस्यों के लिये एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया पर एक संवैधानिक पीठ द्वारा जारी विचारण के बीच नरिवाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से एक बहस छड़ी गई। इसके साथ ही, आम चुनाव हेतु तिथियों की घोषणा के ठीक पहले बना किसी स्पष्टीकरण के अरुण गोयल के इस्तीफे से आयोग के कार्यकरण की पारदर्शिता एवं स्वयत्तता के मामले में आशंकाओं की वृद्धि हुई है।

भारत नरिवाचन आयोग (ECI) क्या है?

परचय:

- **भारतीय नरिवाचन आयोग** एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है।
 - इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप की गई थी। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को **राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day)** के रूप में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- ECI **लोकसभा, राज्यसभा** एवं **राज्य अधिनसभाओं** के चुनाव के साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव का आयोजन कराता है।
 - राज्यों में **पंचायत** और **नगर पालिकाओं** के चुनावों से उसका कोई संबंध नहीं है; इनके लिये भारत के संवैधानिक में एक पृथक **राज्य नरिवाचन आयोग (State Election Commission)** का प्रावधान किया गया है।

संवैधानिक उपबंध:

- **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 324:** नरिवाचनों का अधीक्षण, नदिशन और नयित्करण नरिवाचन आयोग में नहित होगा।
- **अनुच्छेद 325:** कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष नरिवाचक नामावली या मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र नहीं होगा या इसमें सम्मिलित किये जाने का दावा नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और राज्य अधिनसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- **अनुच्छेद 327:** अधिन-मंडल के लिये नरिवाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 328:** किसी राज्य के अधिनमंडल के लिये नरिवाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस अधिनमंडल की शक्ति।
- **अनुच्छेद 329:** नरिवाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

ECI की संरचना:

- आरंभ में आयोग में केवल एक नरिवाचन आयुक्त होता था लेकिन नरिवाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
- नरिवाचन आयोग मुख्य नरिवाचन आयुक्त और उतने अन्य नरिवाचन आयुक्तों से, यदा कोई हों, जतिने राष्ट्रपति समय-समय पर नयित करे, मलिकर बनेगा।

- वर्तमान में, इसमें मुख्य नरिवाचन आयुक्त (CEC) और दो नरिवाचन आयुक्त (ECs) शामिल हैं।
- **आयुक्तों की नयुक्ति एवं कार्यकाल:**
 - राष्ट्रपति **मुख्य नरिवाचन आयुक्त और अन्य नरिवाचन आयुक्त (नयुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) अधिनियम, 2023** के अनुसार CEC और ECs की नयुक्ति करता है।
 - उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नरिधारित है।
 - CEC और ECs का वेतन और सेवा की शर्तें कैबिनेट सचिव के समकक्ष होंगी।
- **पद से हटाया जाना:**
 - वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।
 - CEC को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही एक प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है, जबकि ECs को केवल CEC की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है।

भारत नरिवाचन आयोग की अब तक क्या उपलब्धियाँ रही हैं?

- **स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव आयोजित कराना:**
 - भारत नरिवाचन आयोग ने देश भर में कई चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जहाँ यह सुनिश्चित किया है कि वे नषिपक्ष और बिना पूर्वाग्रह के संपन्न हों।
 - इसने वर्ष 1947 के बाद से अब तक 17 राष्ट्रीय और 370 से अधिक राज्य चुनावों की अखंडता (स्वतंत्रता एवं नषिपक्षता) सुनिश्चित की है।
- **‘अन-डॉक्यूमेंटेड वंडर’ के रूप में प्रतषिठित:**
 - यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े और सबसे लंबे चुनावों में से कुछ का आयोजन करता रहा है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 के संसदीय चुनावों में 900 मिलियन पात्र मतदाता थे और इसे 39 दिनों में नौ चरणों में संपन्न कराया गया था।
 - ‘अन-डॉक्यूमेंटेड वंडर’ (Undocumented Wonder) के रूप में प्रतषिठित ECI सार्वजनिक मूल्य के संरक्षक के रूप में उभरा है, जो भारत में स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनावों की अखंडता सुनिश्चित करता है।
- **समावेशी भागीदारी के लिये पहलें:**
 - ECI द्वारा उठाए गए कदमों ने यह सुनिश्चित किया है कि गिरीब और हाशिये पर स्थिति लोग भी उत्साही मतदाता बने रहे हैं और उच्च स्तर वाले एवं अधिक शक्तिशाली समूहों द्वारा किसी धमकी के भय के बिना अधिकाधिक संख्या में चुनावों में भागीदारी करते हैं।
 - इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण नरिवाचन क्षेत्रों जैसे विशेष प्रावधानों को लागू किया है, साथ ही बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने-धमकाने और रशिवतखोरी जैसे चुनावी कदाचार को रोकने के उपाय भी किये हैं; इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने में योगदान किया है।
- **मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग:**
 - **भारतीय मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Cards)**, जसि अधिकारिक तौर पर नरिवाचक फोटो पहचान पत्र (Elector's Photo Identity Card- EPIC) के रूप में जाना जाता है, पहली बार वर्ष 1993 में मुख्य नरिवाचन आयुक्त टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था।
 - मतदाता पहचान पत्र पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, जसिसे मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने और प्रतरीपण की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) का उपयोग:**
 - ECI द्वारा **EVMs** का उपयोग शुरू करने से मतदान प्रक्रिया व्यापक रूप से सुव्यवस्थित हो गई है, जहाँ इसकी दक्षता बढ़ी है और चुनावी धोखाधड़ी की संभावना कम हो गई है।
 - EVMs मत्तों की गिनती में सटीकता सुनिश्चित करते हैं और इससे भारत में चुनावों की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है।
- **आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन:**
 - ECI सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये चुनावों के दौरान **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC)** लागू करता है।
 - MCC चुनावी प्रक्रिया के दौरान आचरण के लिये दिशानरिदेश तय करती है, जसिमें चुनाव प्रचार, राजनीतिक वजिजापन और सरकारी संसाधनों के उपयोग पर विभिन्न नयिम शामिल होते हैं, जसिसे नषिपक्ष एवं नैतिक चुनाव अभ्यासों को बढ़ावा मिलता है।
- **प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग:**
 - ECI ने चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिये प्रौद्योगिकीय प्रगतियों को अपनाया है, जैसे कि मतदाता पंजीकरण पोर्टल, ऑनलाइन मतदाता सत्यापन प्रणाली और मतदाता शिक्षा एवं सूचना प्रसार के लिये मोबाइल ऐप की शुरुआत।
 - इन पहलों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक अभिगम्य, पारदर्शी और कुशल बनाया है।
 - भारत नरिवाचन आयोग द्वारा डिजाइन किया गया **cVIGIL (Citizen Vigilance)** एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अवसर देता है।
- **मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:**
 - ECI ने मतदाता जागरूकता और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाने के लिये व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान शुरू किये हैं।
 - इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार, मत डालने के महत्त्व और चुनाव के दौरान सूचित विकल्प चुनने के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना है।

VOTER TURNOUT %

LOK SABHA ELECTIONS

Since 1951-52



//

भारत नरिवाचन आयोग से संबद्ध वभिन्न मुद्दे क्या हैं?

- **संवैधानिक सीमाएँ:**
 - संवैधान ने नरिवाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता (वधिकि, शैक्षणिकि, प्रशासनिकि या न्यायिकि) नरिधारित नहीं की है।
 - संवैधान में नरिवाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल नरिदष्टि नहीं कथिा गया है।
 - संवैधान ने सेवानवृत्त नरिवाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा कसिी भी आगे की नयुक्तिसे अवरुद्ध नहीं कथिा है।
- **चयन समतिसि में सरकार का प्रभुत्व:**
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त और अनय नरिवाचन आयुक्त (नयुक्तिसि, सेवा की शरतें और पद की अवधिसि) अधनियम, 2023 के तहत एक चयन समतिसि का गठन कथिा गया है जसिसिमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में वपिक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबनित मंत्री शामिल होते हैं।
 - इस प्रकार, चयन समतिसि में तत्कालीन सरकार के सदस्यों का बहुमत होता है, जो ECI की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
- **कार्यकाल की सुरक्षा:**
 - नरिवाचन आयुक्तों के लयि कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्योकिसि उनहें औपचारिक महाभयिोग प्रकरयिा के बजाय मुख्य नरिवाचन आयुक्त की अनुशंसा पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा हटायिा जा सकता है। इससे वे असुरक्षित हो जाते हैं और संभावित रूप से उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ता है।
- **वत्तिसि स्वतंत्रता का अभाव:**
 - नरिवाचन आयोग की वत्तिसि स्वतंत्रता सीमित है क्योकिसि यह वत्तिसि मामलों के लयि केंद्र सरकार पर नरिभर है।
 - वभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इसकी स्वतंत्रता सुनशित करने के प्रयासों के बावजूद, नरिवाचन आयोग का व्यय भारत की संचित नधिसि से प्राप्त नहीं कथिा जाता है, जसिसे केंद्र सरकार पर उसकी नरिभरता और बढ़ जाती है।
- **चुनावी कदाचार:**
 - मतदाता सूची में अनयमितताएँ एवं वसिंगतयिों (जैसे डुप्लिकेट प्रवषितयिों, अशुद्धयिों एवं अपवर्जन) ऐसे नयिमति रूप से बने रहे मुद्दे हैं जो नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकते हैं और चुनाव की नषिपक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।
 - इलेक्ट्रॉनिकि वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़, मतदाता प्रतरूपण और मतदाता सूचयिों में हेरफेर सहित चुनावी धोखाधड़ी के वभिन्न मामले चुनाव की अखंडता के लयि खतरा पैदा करते हैं।
 - चुनावी हसिा, वशिष रूप से उन कषेत्रों में जहाँ राजनीतिक प्रतदिवंदवतिा या सांप्रदायिक तनाव का इतहिस रहा है, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।
- **राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप:**
 - ECI को उसकी नरिणय लेने की प्रकरयिओं में राजनीतिक पूर्वाग्रह और पक्षपात के आरोपों का सामना करना पड़ा है।

- आयोग के आदेश द्वारा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों के अचानक स्थानांतरण के उदाहरण सामने आते रहे हैं।
 - राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा MCC के उल्लंघन (जैसे घृणास्पद भाषण, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और नकदी एवं उपहारों का वितरण) के मामले अधिक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
 - कुछ राजनीतिक दलों और हतिधारकों द्वारा ECI पर सत्तारूढ़ दल से प्रभावित होने या चुनावी वविदों एवं शकियतों को संबोधित करने में नषिपक्ष रूप से कार्य करने में वफिल रहने के आरोप लगाये जाते रहे हैं।
- **राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्त का अभाव:**
 - जनप्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत नामांकन प्राधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के बावजूद, नरिवाचन आयोग के पास गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है।
 - इसके अतिरिक्त, ECI के पास दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने या दलों के वतित को वनियमित करने की शक्ति नहीं है।
 - **अभगिम्यता और समावेशिता:**
 - मतदाता अभगिम्यता एवं समावेशिता को बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, यह सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं कि सभी पात्र नागरिक मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।
 - दवि्यांग मतदाताओं के लिये अपर्याप्त अवसंरचना, भाषा संबंधी बाधाएँ और दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ जैसे मुद्दे मतदाता भागीदारी में बाधक बन सकते हैं।

Selection Process of the Election Commission in certain countries

Country	Appointing Authority	Selection Committee/Process
South Africa	President	President of the Constitutional Court (Chairperson), representative of the Human Rights Court, representative of the Commission on Gender Equality, and the public prosecutor.
United Kingdom	The monarch, upon approval by the House.	<ul style="list-style-type: none"> • The Speaker's Committee on the Electoral Commission with MPs as members, oversees the recruitment of electoral commissioners. • The candidates for these posts are then approved by the House of Commons and appointed by the British monarch. • The Speaker asks the Leader of the House to table a motion for an address to appoint the recommended candidates.
United States	President	The Commission is appointed by the President and confirmed by the Senate.
Canada	-	Appointed by a resolution of the House of Commons.

Selection process of the Election Commission in certain countries

भारत नरिवाचन आयोग को सशक्त करने के लिये कौन-से कदम उठाये जाने चाहिये?

- **स्वतंत्र चयन समिति का गठन:**
 - एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन किया जाए जिसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा वभिन्न हतिधारकों के प्रतनिधि शामिल हों। इस समिति को नयिकृत प्रक्रिया की नगिरानी करनी चाहिये और नषिपक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये।
 - [अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, 2023](#) मामले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से नरिणय दिया कि [मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों](#) की नयिकृत एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, [लोकसभा में वपिकष के नेता](#) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हों।
- **नरिवाचन आयुक्तों को सांवधिक सुरक्षा प्रदान करना:**
 - ऐसा वधिन लाया जाए जो उन शर्तों को स्पष्ट रूप से परभाषित करे जिनके तहत नरिवाचन आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है।
 - इस वधिन में मनमाने ढंग से बरखास्तगी को रोकने के लिये कड़े मानदंड और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये।
- **पारदर्शी वतितपोषण तंत्र:**

- ECI को धन आवंटित करने के लिये पारदर्शी तंत्र लागू किया जाए, जैसे कि संसदीय वनियोग प्रक्रिया या एक स्वतंत्र बजटीय नरीक्षण समिति के माध्यम से।
- इससे जवाबदेही बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वित्तपोषण संबंधी नरिणय उचित एवं नषिपक्ष तरीके से लिये गए हैं।
- **आनुपातिक दंड की शक्ति:**
 - उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले राजनीतिक दलों के वरिद्ध वभिन्न तरह के प्रतर्बिध एवं दंड लागू कर सकने के लिये (जैसे उनके वशिषाधिकारों का नलिंबन और अस्थायी या स्थायी रूप से उनका पंजीकरण रद्द करना) ECI को सशक्त बनाया जाए।
 - दंड की गंभीरता उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिये।
- **चुनावी अखंडता बढ़ाना:**
 - चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिये तंत्र को सुदृढ़ करना सर्वोपरि महत्त्व रखता है।
 - इसमें चुनावी धोखाधड़ी, मतदाता भयादोहन और कदाचार को रोकने के उपायों को बढ़ावा देने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, मतदाता पंजीकरण डेटाबेस और मतपत्र गनिती प्रक्रियाओं की सुरक्षा एवं वशि्वसनीयता में सुधार लाना शामिल है।
- आयोग को अधिक से अधिक नरिवाचन कषेत्रों में वटर वेरफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (VVPATS) स्थापित कर लोगों के बीच अपना वशिवास स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकीय एकीकरण:**
 - प्रौद्योगिकीय प्रगत को अपनाने और चुनावी अवसरचना के आधुनिकीकरण में नविश करने से चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता एवं अखंडता में सुधार हो सकता है।
 - इसमें सुरक्षा बढ़ाने और छेड़छाड़ या धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिये ब्लॉकचेन-आधारित वोटिंग सिस्टम जैसी उन्नत वोटिंग तकनीकों को अपनाना शामिल है।
- **समावेशी भागीदारी:**
 - चुनावी प्रक्रिया में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये मतदाता दमन, भेदभाव एवं मताधिकार से वचना जैसे मुद्दों के समाधान हेतु सक्रिय उपाय करने के साथ ही चुनाव संबंधी नरिणयकारी नकियों में वविधि समुदायों का प्रयाप्त प्रतनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।
 - सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्र दवियांगजनों सहित सभी मतदाताओं के लिये अभिगम्य हों। इसमें रैंप, व्हीलचेयर अनुरूप प्रवेश द्वार, बरेल संकेत और स्पर्शनीय वोटिंग मशीनें प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**
 - अंतरराष्ट्रीय चुनावी प्रबंधन नकियों एवं संगठनों के साथ सहकार्यता एवं सहयोग को सुदृढ़ करने से ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता-नरिमाण पहलों और चुनावी प्रशासन में सर्वोत्तम अभ्यासों के अंगीकरण की सुवधि मलि सकती है।
 - इससे वैश्विक मंच पर ECI की वशि्वसनीयता, प्रभावशीलता और प्रतर्षिता बढ़ सकती है।

नषिकर्ष:

भारत नरिवाचन आयोग (ECI) का भवषिय प्रौद्योगिकीय प्रगत को अपनाने, नयामक ढाँचे को सुदृढ़ करने, समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने की इसकी कषमता में नहिती है। नरिवाचन आयोग को सशक्त बनाकर और चुनावों को प्रभावी ढंग से वनियमित करने एवं नगिरानी करने की उसकी कषमता को बढ़ाकर, भारत लोकतांत्रिक शासन के प्रतर्षिता प्रतर्बिद्धता की पुष्टि कर सकता है तथा चुनावी प्रणाली में अपने नागरिकों के बीच भरोसे एवं आत्मवशिवास को बढ़ावा दे सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत नरिवाचन आयोग की परचालनात्मक प्रभावकारिता से जुड़ी उपलब्धियों एवं चुनौतियों का वशि्लेषण कीजिये। भारत नरिवाचन आयोग को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिये आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

Q. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधित वविवाद नपिताता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका का वविचन कीजयिे । (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/empower-election-commission-to-defend-institutional-credibility>

